संख्या 6444 / रा0प0 / संग्रह / 2017

प्रेषक,

आयुक्त एवं सचिव,
राजस्व परिषद्, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

दिनांकः 24 मार्च, 2017

विषयः— **मुख्य एवं विविध देय के लिए वसूली का माहवार लक्ष्य (प्रतिशत में) निर्धारण के संबंध में।**

महोदय,

कृपया, उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिकाधिक राजस्व प्राप्ति के दृष्टिगत, वसूली कार्य को गति दिये जाने एवं निरन्तर वसूली सुनिश्चित किये जाने के लिए राजस्व परिषद् द्वारा सम्यक विचारोपरान्त मांग के सापेक्ष मुख्य एवं विविध देयों के लिए वसूली का माहवार लक्ष्य प्रतिशत निम्नवत् निर्धारित किया गया हैः—

मुख्य देयों के लिए निर्धारित वसूली का माहवार लक्ष्य (प्रतिशत में)

माह का नाम	**मैदानी क्षेत्र** हेतु निर्धारित प्रतिशत	**पर्वतीय क्षेत्र** हेतु निर्धारित प्रतिशत
अक्टूबर	04 प्रतिशत	05 प्रतिशत
नवम्बर	09 प्रतिशत	10 प्रतिशत
दिसम्बर	09 प्रतिशत	08 प्रतिशत
जनवरी	08 प्रतिशत	07 प्रतिशत
फरवरी	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत
मार्च	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत
अप्रैल	09 प्रतिशत	09 प्रतिशत
मई	09 प्रतिशत	10 प्रतिशत
जून	08 प्रतिशत	07 प्रतिशत
जुलाई	07 प्रतिशत	07 प्रतिशत
अगस्त	08 प्रतिशत	08 प्रतिशत
सितम्बर	09 प्रतिशत	09 प्रतिषत
योग प्रतिशत :—	**100 प्रतिशत**	**100 प्रतिशत**

क्रमशः—2

विविध देयों के लिए निर्धारित वसूली का माहवार लक्ष्य (प्रतिशत में)

माह का नाम	**मैदानी क्षेत्र** हेतु निर्धारित प्रतिशत	**पर्वतीय क्षेत्र** हेतु निर्धारित प्रतिशत
अप्रैल	06 प्रतिशत	06 प्रतिशत
मई	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत
जून	09 प्रतिशत	08 प्रतिशत
जुलाई	08 प्रतिशत	08 प्रतिशत
अगस्त	08 प्रतिशत	08 प्रतिशत
सितम्बर	09 प्रतिशत	10 प्रतिशत
अक्टूबर	09 प्रतिशत	10 प्रतिशत
नवम्बर	08 प्रतिशत	08 प्रतिशत
दिसम्बर	07 प्रतिशत	07 प्रतिशत
जनवरी	07 प्रतिशत	06 प्रतिशत
फरवरी	09 प्रतिशत	09 प्रतिशत
मार्च	10 प्रतिशत	10 प्रतिशत
योग प्रतिशतः–	**100 प्रतिशत**	**100 प्रतिशत**

2— जनपद उधमसिंहनगर एवं जनपद हरिद्वार की समस्त तहसीलों के अतिरिक्त जनपद नैनीताल की तहसील हल्द्वानी, रामनगर, कालाढूंगी एवं लालकुंआ, जनपद देहरादून की तहसील देहरादून, डोईवाला, ऋषिकेश एवं विकासनगर तथा जनपद पौड़ी की तहसील कोटद्वार हेतु मुख्य एवं विविध देयों की वसूली के लिए मैदानी क्षेत्र के मानक लागू होंगे।

3— समस्त जिलाधिकारी अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधिकारियों को उपरोक्तानुसार निर्धारित माहवार लक्ष्य प्रतिशत के अनुरूप वसूली सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करना सुनिश्चित करेंगे, साथ ही प्रत्येक माह में की जाने वाली वसूली की समीक्षा उपरोक्त निर्धारित मानकों के अनुरूप करेंगे।

4— यहां यह भी उल्लेखनीय है कि उपरोक्तानुसार निर्धारित वसूली के माहवार लक्ष्य प्रतिशत के अनुरूप कृत वसूली के सापेक्ष राजस्व विभाग के सभी सम्बंधित कर्मचारियों/अधिकारियों का वार्षिक मूल्यांकन किया जायेगा।

अतएव आपसे अपेक्षा है कि आप उपरोक्तानुसार निर्धारित लक्ष्य अनुरूप वसूली सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी होंगे।

भवदीय,

(एस0एन0 पाण्डे)
24.03.2017
आयुक्त एवं सचिव

प्रतिलिपिः– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी/कुमाँऊ मण्डल, नैनीताल को इस आशय से प्रेषित है कि वसूली के निर्धारित माहवार लक्ष्य प्रतिशत के अनुरूप वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(एस0एन0 पाण्डे)
आयुक्त एवं सचिव